उपायुक्त का न्यायालय, गोड्डा।

आर0एम0ए0 नं0–54/2013–14

रमैय सोरेन

बनाम्

मानवेल हेम्ब्रम एवं अन्य

–: आदेश :–

दिनांक

24/09/21

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना। अभिलेखबद्ध कागजातों का अवलोकन किया।

वर्तमान अपील वाद की प्रक्रिया अपीलकर्त्ता रमैय सोरेन, पे0–स्व0 राजू सोरेन, सा0–भटौंधा, थाना–पोड़ैयाहाट, जिला–गोड्डा के अपील आवेदन के आधार पर प्रारम्भ किया गया है। अपीलकर्त्ता ने अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा के न्यायालय के बंदोवस्ती केश नं0–01/2003–04 आदेश दिनांक–19.08.2013 के विरूद्ध अपील आवेदन दायर किया है। अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा ने बंदोवस्ती केश नं0–01/2003–04 आदेश दिनांक–19.08.2013 के द्वारा उत्तरवादी मानवेल हेम्ब्रम के आवेदन को स्वीकृत किया है एवं उत्तरवादी मानवेल हेम्ब्रम के साथ प्रधानी पट्टा द्वारा मौजा–भटौंधा थाना नं0–50 के अन्तर्गत दाग नं0–1683 एवं दाग नं0–91 रकवा क्रमशः 02–01–18 धुर तथा 01–12–13 धुर बंदोवस्त भूमि को सम्पुष्ट किया है।

अपीलकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि उत्तरवादी मानवेल हेम्ब्रम के आवेदन पर अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा के न्यायालय में बंदोवस्ती केश नं0–01/2003–04 प्रारम्भ किया गया है। उस आवेदन में उत्तरवादी मानवेल हेम्ब्रम के दावा किया गया कि मौजा–भटौंधा के दाग नं0–1683 रकवा 02–01–18 धुर एवं दाग नं0–91 रकवा 01–12–13 धुर जमीन मौजा–भटौंधा के प्रधान के द्वारा दिनांक–11.05.1996 को उसके साथ बंदोवस्ती की जमीन गयी है। उन्होने उक्त बंदोवस्ती पट्टा का सम्पुष्ट करने के लिए अनुरोध किया। उसी प्रकार अपीलकर्त्ता के पिता राजू सोरेन के द्वारा मौजा भटौंधा के प्रधान हरिचरण मुर्मू के द्वारा दाग नम्बर–91 के अन्तर्गत रकवा 01–00–00 धुर जमीन का निर्गत बंदोवस्ती पट्टा को सम्पुष्ट करने के लिए आवेदन दिया गया। उस आवेदन पर बंदोवस्ती केश नम्बर–60/1990–91 प्रारम्भ किया गया। बाद में बंदोवस्ती केश

नम्बर–60/1990–91 को बंदोवस्ती केश नम्बर–01/2003–04 के साथ सम्बद्ध कर एक साथ सुनवाई की गयी एवं अभिलेख में संलग्न कागजातों का अवलोकन कर दिनांक 13.10.2004 को आदेश पारित किया गया तथा उक्त आदेश के द्वारा राजू सोरेन के नाम से निर्गत बंदोवस्ती पट्टा को सम्पुष्ट किया गया। उसी बीच राजू सोरेन अपने पीछे पुत्र रमैय सोरेन को छोड़कर फौत कर गये। राजू सोरेन को प्रक्रिया से हटाया गया तथा उसके स्थान पर रमैय सोरेन का नाम प्रतिस्थापित किया गया। उनका आगे कथन है कि पक्षकारों को सुनने एवं पक्षकारों की ओर से दाखिल कागजातों के अवलोकन के पश्चात अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि दाग नम्बर–91 रकवा–01–00–00 धुर जमीन वर्ष 1970 ई0 में अपीलकर्त्ता के पिता राजू सोरेन के साथ मौजा भटौंधा के प्रधान द्वारा बंदोवस्त की गयी थी और बाद में उसी दाग नम्बर–91 एवं 1683 की जमीन का सम्पूर्ण रकवा मौजा भटौंधा के प्रधान द्वारा वर्ष 1996 ई0 में उत्तरवादी मानवेल हेम्ब्रम के साथ बंदोवस्ती की गयी। दाग नम्बर–1613 की जमीन गत सर्वे सेटलमेंट पर्चा के अनुसार परती पथल की जमीन है एवं उत्तरवादी के साथ सही तरीका से बंदोवस्ती नहीं की गयी थी। इसलिए प्रधान द्वारा राजू सोरेन के नाम से निर्गत बंदोवस्ती सम्पुष्ट पट्टा को अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा ने अपने आदेश दिनांक 13.10.2004 द्वारा सम्पुष्ट किया एवं इसकी सूचना अंचल अधिकारी, पोड़ैयाहाट एवं मौजा भटौंधा के प्रधान को दी गयी। उस आदेश के विरूद्ध उत्तरवादी मानवेल हेम्ब्रम की ओर से अपील वाद दायर किया गया, जिसका आर0 एम0 ए0 नम्बर–65/2004 दर्ज किया। अपील वाद में निम्न न्यायालय से अभिलेख की मॉग की गयी। अपीलकर्त्ता के द्वारा उस अपील वाद में उत्तरवादी पक्षकार के रूप में कई तथ्यात्मक और कानूनी आधार पर दावा करते हुए अपना प्रत्युत्तर आवेदन दाखिल किया गया तथा निम्न न्यायालय के आदेश को बरकरार रखते हुए अपील आवेदन को खारिज करने के लिए अनुरोध किया। विज्ञ उपायुक्त, गोड्डा के द्वारा दोनों पक्षों के सुनवाई के पश्चात आर0एम0ए0 नं0–65/2004 में दिनांक–05.07.2010 को आदेश पारित किया गया, जिसका मुख्य भाग निम्न प्रकार है :– "निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश में एक ही दाग नं0–91 को दो–दो व्यक्ति के नाम से प्रधान द्वारा पट्टा निर्गत किया गया है। निम्न न्यायालय को इस विन्दु पर गहराई से जाँच पड़ताल के बाद ही यथोचित

आदेश पारित करना चाहिए था। प्रधान द्वारा उभयपक्षों को पट्टा निर्गत किया जाना आवश्यक जाँच का विषय है। अभिलेख पर उपलब्ध जाँच प्रतिवेदन संतोषप्रद नहीं है। अंचल अधिकारी को स्वयं जाँच पड़ताल कर प्रतिवेदन प्रेषित किया जाना चाहिए था। अतः निम्न न्यायालय द्वारा दिनांक–13.10.2004 को पारित आदेश निरस्त किया जाता है। निम्न न्यायालय को अभिलेख मूल में वापस भेजते हुए निर्देश दिया गया है कि उपर्युक्त वर्णित सभी बिन्दुओं पर गहराई से जाँच पड़ताल कर आदेश प्रति की प्राप्ति की तिथि से तीन माह के अंदर पुनः न्यायोचित आदेश पारित किया गया।"

उनका आगे कथन है कि रिमाण्ड आदेश में दिये गये निदेश के अनुपालन में अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा को प्रधानी बंदोवस्ती पट्टा का गहराई से जाँच करना चाहिए था कि किस आधार पर मौजा–भटौंधा के प्रधान के द्वारा दाग नं0–91 के अन्तर्गत सम्पूर्ण रकवा की जमीन का बंदोवस्ती उत्तरवादी मानवेल हेम्ब्रम को वर्ष 1996 में बंदोवस्ती की गयी। जबकि उक्त दाग नं0–91 के अन्तर्गत रकवा 01–00–00 धुर जमीन मौजा के पूर्व प्रधान के द्वारा अपीलकर्त्ता के पिता के साथ वर्ष 1970 ई0 में बंदोवस्ती की गयी थी। अंचल अधिकारी, पोड़ैयाहाट को इस संबंध में स्वयं जाँच करना चाहिए तथा अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा को अपीलीय न्यायालय द्वारा दिये गये निदेश के आलोक में आदेश पारित करना चाहिए था। लेकिन अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा के द्वारा अनुचित तरीका से बंदोवस्ती केश नं0–01/2003–04 में दिनांक–19.08.2013 को आदेश पारित किया गया एवं उत्तरवादी मानवेल हेम्ब्रम के आवेदन को अवैध ढंग से स्वीकृत करते हुए उनके नाम से प्रधान द्वारा दिये गये बंदोवस्ती पट्टा को सम्पुष्ट किया गया। इसलिए निम्न न्यायालय का पारित आदेश नियम संगत नहीं है। उन्होंने निम्न न्यायालय के पारित आदेश को खारिज करते हुए अपील आवेदन को स्वीकृत करने के लिए अनुरोध किया है।

उत्तरवादी मानवेल हेम्ब्रम के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि मौजा–भटौंधा नं0–50 के अन्तर्गत दाग नं0–1683 एवं दाग नं0–91 की जमीन परती जमीन है। उक्त दाग नं0 के अन्तर्गत रकवा 02–01–18 धुर रकवा 01–12–13 धुर कुल रकवा 03–14–11 धुर जमीन मौजा के प्रधान के द्वारा उत्तरवादी मानवेल हेम्ब्रम के साथ बंदोवस्ती की गयी है। प्रधान द्वारा

बंदोवस्त जमीन पर उत्तरवादी मानवेल हेम्ब्रम दखलकार हैं। अपीलकर्त्ता के द्वारा राजू सोरेन के नाम से बंदोवस्त जमीन का न तो बंदोवस्ती पट्टा और न ही मालगुजारी रसीद दाखिल किया है। इसलिए अपीलकर्त्ता का दावा निराधार है एवं निम्न न्यायालय का पारित आदेश नियम संगत है। उन्होंने निम्न न्यायालय के पारित आदेश को बरकरार रखते हुए अपील आवेदन को खारिज करने के लिए अनुरोध किया है।

इस संबंध में अंचल अधिकारी, पोड़ैयाहाट के पत्रांक–347/रा0 दिनांक–25.06.2019 से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। प्रतिवेदित किया गया है कि मौजा–भटौंधा थाना नं0–50 जमाबंदी नं0–40 दाग नं0–91 किस्म जमीन परती गढ़ा कहकर सर्वे खतियान में दर्ज है। दाग नं0–91 रकवा 01–12–13 धुर के अन्तर्गत रकवा 01–00–00 धुर जमीन पूर्व प्रधान हरचन्द्र मुर्मू के द्वारा अपीलकर्त्ता रमैय सोरेन के पिता–स्व0 राजू सोरेन सैनिक के साथ पट्टा के द्वारा वर्ष 1970 में बंदोवस्त किया गया है। स्व0 राजू सोरेन के मृत्यु के बाद से उनके पुत्र रमैय सोरेन उक्त भूमि का जोत–आबाद करते आ रहें हैं। वर्तमान प्रधान श्री सोरेन उल्फ उसी जमाबंदी नं0–40 दाग नं0–91 एवं 1683 कुल रकवा 03–12–11 धुर भूमि उत्तरवादी मानवेल हेम्ब्रम पिता–लुथू हेम्ब्रम मौजा–भटौंधा के साथ वर्ष 1996 में पट्टा के द्वारा बंदोवस्त किया गया है तथा अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा के न्यायालय का विविध बंदोवस्ती वाद सं0–01/2003–04 मानवेल हेम्ब्रम बनाम् रैयान मौजा–भटौंधा पारित आदेश दिनांक–19.08.2013 के द्वारा पट्टा को सम्पुष्ट किया गया है। मौजा–भटौंधा थाना नं0–50 जमाबंदी नं0–40 दाग नं0–91 रकवा 01–12–13 धुर जमीन किस्म परती गढ़ा एवं दाग नं0–1683 रकवा 02–01–18 धुर किस्म जमीन परती पत्थल कहकर सर्वे खतियान में दर्ज है। उक्त परती पत्थ्ल भूमि दो–दो रैयतों के साथ दो बार बंदोवस्त की गई है। इस संबंध में वर्तमान प्रधान सोरेन अल्फ को इस कार्यालय के पत्रांक–680/रा0 दिनांक–28.08.2018 से स्पष्टीकरण की मांग की गई, परन्तु उन्होंने पत्र प्राप्त करने के बावजूद भी जबाब नहीं दिया गया।

विद्वान सरकारी वकील से मंतव्य प्राप्त है। विद्वान सरकारी वकील का मंतव्य है कि मौजा–भटौंधा थाना नं0–50 जमाबंदी नं0–40 दाग नं0–91 किस्म जमीन परती गढ़ा कहकर सर्वे खतियान में दर्ज है। दाग नं0–91 रकवा 01–12–13 धुर के अन्तर्गत रकवा 01–00–00 धुर पूर्व प्रधान

हरचंद मुर्मू के द्वारा अपीलकर्त्ता के पिता स्व0 राजू सोरेन सैनिक के साथ पट्टा के द्वारा वर्ष 1970 में बंदोवस्त किया गया। स्व0 राजू सोरेन के मृत्यु के बाद उनके पुत्र अपीलकर्त्ता उक्त भूमि का जोत–आवाद करते आ रहें हैं। वर्तमान प्रधान उसी जमाबंदी नं0–40 दाग नं0–91 एवं 1683 कुल रकवा 03–12–11 धुर भूमि उत्तरवादी मानवेल हेम्ब्रम पिता–लुथु हेम्ब्रम मौजा–भटौंधा के साथ वर्ष 1996 में पट्टा के द्वारा वंदोवस्त किया गया है। उनका आगे मंतव्य है कि बंदोवस्ती अभिलेख 60/90–91 के अन्तर्गत आदेश दिनांक–13.10.2004 के द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा ने राजू सोरेन के पट्टा को सम्पूष्ट की गयी है, जिसके आलोक में उत्तरवादी मानवेल हेम्ब्रम श्रीमान् उपायुक्त के न्यायालय में 65/04–05 के अन्तर्गत अपील वाद दायर किया गया। इस अपील वाद में विद्वान उपायुक्त के द्वारा दिनांक–05.07.2010 में पारित आदेशानुसार अनुमंडल पदाधिकारी के द्वारा पारित आदेश दिनांक–13.04.2010 के आदेश को निरस्त करते हुए अभिलेख पुनः जाँच पड़ताल के साथ उचित आदेश पारित करने हेतु रिमाण्ड किया गया है। निम्न न्यायालय के दिनांक–13.10.2004 के पारित आदेश को रिकॉल करते हुए उत्तरवादी के आवेदन को स्वीकृत और तदनुसार प्रधानी पट्टा के द्वारा मौजा–भटौंधा के अन्तर्गत दाग नं0–1683 एवं दाग नं0–91 रकवा 02–01–18 धुर एवं 01–12–12 धुर वंदोवस्त भूमि को सम्पूष्ट किया गया है। उनका आगे कथन है कि अनुमंडल पदाधिकारी के द्वारा दिनांक–19.08.2013 को पारित आदेश न्याय संगत प्रतीत होता है तथा अपील वाद को खारिज किया जा सकता है।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों, जाँच प्रतिवेदन एवं निम्न न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि मौजा–भटौंधा थाना नं0–50 के खाता नं0–40 दाग नं0–91 कुल रकवा 01–12–13 धुर जमीन किस्म परती गढ़ा कहकर गत सर्वे सेटलमेंट पर्चा में दर्ज है। उक्त दाग नं0–91 के अन्तर्गत रकवा 01–08–00 धुर जमीन पूर्व प्रधान हरचन्द्र मुर्मू के द्वारा अपीलकर्त्ता रमैय सोरेन के पिता स्व0 राजू सोरेन के साथ पट्टा के द्वारा वर्ष 1970 ई0 में बंदोवस्त किया गया है। उसी खाता नं0–40 के अन्तर्गत दाग नं0–91 रकवा 01–12–13 एवं दाग नं0–1683 के अन्तर्गत रकवा 02–01–18 धुर कुल रकवा 03–12–11 धुर जमीन मौजा–भटौंधा के वर्तमान प्रधान सोरेन अल्फ के द्वारा उत्तरवादी मानवेल हेम्ब्रम के साथ वर्ष 1996 ई0

में प्रधानी पट्टा के द्वारा बंदोवस्त किया गया एवं निम्न न्यायालय के आदेश दिनांक–19.08.2013 के द्वारा उत्तरवादी मानवेल के साथ की गयी बंदोवस्ती को सम्पुष्ट किया गया है। लेकिन अंचल अधिकारी, पोड़ैयाहाट के जाँच प्रतिवेदन में यह स्पष्ट होता है कि दाग नं0–91 के अन्तर्गत रकवा 01–00–00 धुर जमीन स्व0 राजू सोरेन के पुत्र अपीलकर्त्ता जोत–आबाद करते हैं। ऐसी स्थिति में निम्न न्यायालय का पारित आदेश नियम संगत प्रतीत नहीं होता है। अतः अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा के बंदोवस्ती वाद सं0–01/2003–04 आदेश दिनांक–19.08.2013 को निरस्त किया जाता है एवं दाग नं0–91 के अंदर रकवा 01–00–00 धुर जमीन का राजू सोरेन के साथ की गयी बंदोवस्ती को सम्पुष्ट किया जाता है तथा दाग नं0–91 के शेष रकवा 00–12–13 धुर एवं दाग नं0–1683 के रकवा 02–01–18 धुर जमीन का मानवेल हेम्ब्रम के साथ प्रधान के द्वारा की गयी बंदोवस्ती को सम्पूष्ट किया जाता है। इसकी सूचना अंचल अधिकारी, पोड़ैयाहाट को दें एवं अंचल अधिकारी, पोड़ैयाहाट को आदेश दिया जाता है कि मौज़ा के प्रधान के साथ समय–समय पर बैठक करके प्रधान के द्वारा पंजी में बंदोवस्ती जमीन का अद्यतन प्रविष्टि कराना सुनिश्चित करेंगे। अभिलेख अभिलेखागार में जमा करें।

लिखाया एवं शुद्ध किया।

24/09/21
उपायुक्त,
गोड्डा।

24/09/21
उपायुक्त,
गोड्डा।

डीवी0 सं0 164
24.9.21
देखा
अनुज कुमार दूबे
अधिवक्ता
25-9-2021.

देखा
दिलीप कुमार
25/9/21

Digitally signed by BHOR SINGH YADAV
Date: 2022.06.18 17:47:33 +05:30
Location: 192.168.29.8